राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

:: आदेश ::

S.B. Criminal Misc. Bail Application No. 12270/2019

1. Shyam Sundar Gupta S/o Sh. Shantipriya B/c Mahajan, Aged About 59 Years, R/o Ward No 7 Todabhim Ps Todabhim Dist. Karauli Raj.
2. Govind Sharan Gupta S/o Sh. Shantipriya B/c Mahajan, Aged About 57 Years, R/o Ward No 7 Todabhim Ps Todabhim Dist. Karauli Presently Residing At Flat No 202 Shubh Laxmi Residency Usha Vihar Plot No 17 Near Triveni Nagar Gopalpura Byepass Jaipur Raj.

----Accused-Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

:: उपस्थित ::

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री अनुराग शर्मा।
लोक अभियोजक श्री प्रशान्त शर्मा।

आदेश दिनांक 31.10.2019

न्यायालय द्वारा :

प्रार्थीगण की ओर से धारा **438** दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अग्रिम जमानत का लाभ देने के लिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण का तर्क रहा कि प्रार्थीगण एवं परिवादी आपस में सगे भाई हैं तथा दोनों की संयुक्त सम्पत्ति टोडा भीम में खण्डहर के रूप में थी तथा सम्पत्ति का बेचान/इकरारनामा मौखिक रूप से परिवादी की सहमति के आधार पर हुआ था, लेकिन पक्षों के मध्य विवाद होने के परिणामस्वरूप बेचान/इकरारनामा को निरस्त किये जाने के बाबत कार्यवाही हो चुकी है एवं इस क्रम में क्रेता द्वारा भी सहमति प्रदान कर दी गई है, जिसके क्रम में संबंधित दस्तावेज निष्पादित किया गया है। अतः अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना की गई। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा लिखित दस्तावेज की प्रति पेश की, जिसे रिकार्ड पर लिया जाता है।

योग्य लोक अभियोजक ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया।

समस्त तर्कों पर विचार किया गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। प्रकरण में उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति, बहस के दौरान योग्य अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तर्कों एवं लिखित दस्तावेज में परिवादी द्वारा बेचान/इकरारनामा निरस्त किये जाने के क्रम में जो तथ्य अंकित किये गये हैं, उनको ध्यान में रखते हुए **निम्न शर्त** पर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थीगण **श्याम सुन्दर गुप्ता एवं गोविन्द शरण गुप्ता** की ओर से प्रस्तुत यह अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी, **पुलिस थाना, टोडाभीम जिला करौली** को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उनके यहाँ पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या—**157/2019** में प्रार्थीगण को

गिरफ्तार किये जाने की सूरत में यदि प्रत्येक प्रार्थी उनके संतोषप्रद पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये राशि की दो जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तो उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर आजाद कर दिया जाए :

1. कि प्रार्थी पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जानेवाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिये जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा।
2. कि प्रार्थी इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्षः अथवा परोक्ष रूप से उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा।
3. कि प्रार्थी बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत नहीं छोड़ेगा।

<u>शर्त–</u>

कि क्रेता अब्दुल सलीम के हक में निष्पादित बेचान / इकरारनामा (दिनांकित **05.11.2018**) को दिनांक **05.11. 2019** तक निरस्त कराने में चूक होने पर परिवादी अथवा अभियोजन पक्ष यह जमानत आदेश निरस्त कराने के क्रम में विधि अनुसार कार्यवाही करने को स्वतंत्र हैं।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति

थावानी / –